न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी -- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 144 / 2024 राजस्व वाद

01. पन्ना लाल पुत्र श्री देवा भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

01. गीता देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. दल्लू देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. नारायण लाल पुत्र स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. पतासी देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. फतेह लाल पुत्र स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. भंवरी देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. सुखी देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. सज्जनी देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. सीता देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन —–अधिवक्ता वादी
2. श्री मुकेश सिंह तंवर —–प्रतिवादी संख्या 01 से 09
3. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 09

:: निर्णय :: दिनांक– 16 / 06 / 2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 88, 89 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद पीपला पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 229 रकबा 0.0100 हैक्टयर, आराजी नम्बर 230 रकबा 1.2300 हैक्टयर कुल किता 02 दो रकबा 1.2400 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 नो एवं वादी के नाम पर दर्ज है। उक्त आराजियात को वाद मे आगे विवादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजियात जो कि पूर्व मे राजस्व ग्राम बटेरी पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा मे होकर वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजियात के आराजी नम्बर 83 तरियासी रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा थे। राजस्व ग्राम पीपला नया राजस्व ग्राम बनने से बटेरी की आराजी नम्बर 83 जो कि राजस्व ग्राम पीपला मे आराजी नम्बर 229, 230 के रूप मे दर्ज हुई है। वादग्रस्त आराजियात मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के पिता व पति धना भील का 1/2 हक हिस्सा होकर धन्ना भील जो कि वादी का सगा भाई है, जो कि रामा जी भील के गोद चला गया था। धन्ना भील द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी को हक त्याग किया गया व दिनांक 03 तीन जुलाई 2015 दो हजार पन्द्रह को एक हक त्याग पत्र रजिस्टर्ड वादी के पक्ष मे कराया गया। उक्त आराजियात वादी ही एकमात्र मात्र मालिक होकर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी द्वारा पटवार हल्का को हक त्याग की रजिस्ट्री दी गयी, जिसके द्वारा वादी के नाम पर खुलवाने का आश्वासन दिया गया व वादी जो कि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, उसके द्वारा भूमि अपने नाम पर दर्ज होना मान लिया गया। हाल ही मे दिनांक 15 पन्द्रह अगस्त 2024 दो हजार चौबीस को वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि उक्त भूमि वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के नाम पर दर्ज है, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के पिता व पति धना भील की मृत्यु हो जाने से उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के नाम पर दर्ज हो गयी है, जबकि धना जी भील द्वारा सम्पूर्ण भूमि वादी को हक त्याग करने से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 का कोई हक अधिकार नही रहा है। वादी को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 के समक्ष उपस्थित होकर हक त्याग के आधार पर उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 का नाम

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 144/2024 राजस्व वाद

01. पन्ना लाल पुत्र श्री देवा भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– वादी

बनाम

01. गीता देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. दल्लू देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. नारायण लाल पुत्र स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. पतासी देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. फतेह लाल पुत्र स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. भंवरी देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. सुखी देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. सज्जनी देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. सीता देवी पुत्री स्व0 श्री धन्ना भील आयु वयस्क निवासी– बटेरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादीगण की ओर से मुकेश सिंह तंवर की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 16/06/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद पीपला पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 229 रकबा 0.0100 हैक्टयर, आराजी नम्बर 230 रकबा 1. 2300 हैक्टयर कुल किता 02 दो रकबा 1.2400 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 का नाम विलोपित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 से 09 के हक हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी को वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज की जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिकी आज दिनांक 16/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)